भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3891

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

06 चैत्र, 1948 (शक)

आधार प्रमाणीकरण में विफलता

3891. श्री मोहम्मद नदीमुल हक़:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 से कल्याणकारी उपायों का प्रदायगी में आधार प्रमाणीकरण विफलताओं के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों को हल किया गया है; और

(ग) क्या लाभ से वंचित किए जाने के मामलों में प्रतिपूर्ति प्रदान की गई थी?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा अनुरक्षित दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, जिसमें लगभग 134 करोड़ सक्रिय आधार धारक हैं। इसने 17,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन पूरे किए हैं।

जनकल्याण के लिए आधार:

केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में लाभ और सेवाओं के वितरण के लिए आधार एक मूलभूत पहचान के रूप में उभरा है। इसे लगभग सार्वभौमिक कवरेज और व्यापक स्वीकृति का समर्थन प्राप्त है।

वर्तमान में 3,100 से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाएं और 360 से अधिक सार्वजनिक सेवाएं आधार-आधारित प्रमाणीकरण/सत्यापन का उपयोग कर रही हैं। इससे राज्यों को लक्षित, पारदर्शी और रिसाव-रहित वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिली है, साथ ही डुप्लिकेट और अयोग्य लाभार्थियों को हटाने में भी सहायता मिली है।

इसके अतिरिक्त, आधार-बैंक लिंकिंग लाभार्थियों के खातों में लाभों के प्रत्यक्ष और सुरक्षित हस्तांतरण को सुगम बनाती है, जिससे शासन में दक्षता और जवाबदेही बढ़ती है।

आधार संख्या धारकों के लिए, यह एक विश्वसनीय, डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है, सरकारी योजनाओं में समावेश सुनिश्चित करता है और बैंकिंग, दूरसंचार, ऋण और बीमा जैसे क्षेत्रों में सेवाओं तक निर्बाध पहुंच को सक्षम करता है।

उद्देश्य-निरपेक्ष पहचान प्लेटफ़ॉर्म के रूप में आधार:

हालांकि आधार अनेक कल्याणकारी योजनाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यूआईडीएआई योजना-क्रियान्वयन करने वाले संस्थाओं द्वारा लाभार्थी पहचान के लिए आधार का उपयोग करते समय किए गए प्रमाणीकरण के उद्देश्य से संबंधित कोई जानकारी एकत्र, संचित या बनाए नहीं रखता है।

आधार प्रमाणीकरण संबंधी शिकायतें

सार्वजनिक सेवा वितरण ढांचे के साथ आधार के एकीकरण के बड़े पैमाने को ध्यान में रखते हुए, आधार प्रमाणीकरण विफलताएं विभिन्न कारकों जैसे संबद्धता मुद्दों, बायोमेट्रिक या जनसांख्यिकीय असंगतियाँ, अमान्य वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी), डिवाइस से संबंधित मुद्दों और अन्य तकनीकी कारणों से हो सकती हैं।

ऐसी शिकायतों का समाधान संबंधित योजना-कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों के समन्वय से समयबद्ध तरीके से किया जाता है।

इसके अलावा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने प्रमाणीकरण से संबंधित मुद्दों को कम करने के लिए कई प्रतिउपाय किए हैं। इसमें बहु-मोड प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक, ओटीपी और फेस प्रमाणीकरण) को सक्षम करना, बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरणों का आवधिक अद्यतन सुगम बनाना, और प्रमाणीकरण ढांचे को सुदृढ़ करना शामिल है।

इन उपायों ने पात्र लाभार्थियों को कल्याणकारी लाभों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद की है।

इसके अलावा, आधार अधिनियम, 2016 में प्रावधान है कि किसी भी पात्र लाभार्थी को आधार न होने या आधार प्रमाणीकरण में असमर्थता, जिसमें प्रमाणीकरण विफलताएँ भी शामिल हैं, के कारण कल्याणकारी लाभ या सेवाएँ अस्वीकृत नहीं की जाएंगी। ऐसे मामलों में वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान के साधन प्रदान किए जाते हैं।
